2006:सीजीएचसी:4411

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ : बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 4976/2005

याचिकाकर्ता — मेसर्स डिजिटल वेइंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा : मुख्य कार्यपालक (विक्रय), प्लॉट नंबर पी–1, बी एंड सी, पी–2, औद्योगिक क्षेत्र, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. भारतीय खाद्य निगम, द्वारा : अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, खाद्य सदन, 16/20, बाराखंभा लेन, नई दिल्ली – 01.
2. कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम (अभियांत्रिकी.), परियोजना कार्यान्वयन प्रभाग, स्कोप मीनार कोर 4, द्वितीय तल, लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, नई दिल्ली–110092।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, तेलीबांधा चौक, रायपुर।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, हबीबगंज, भोपाल–462 011 ।
5. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय,

धीरज आर्मा भवन, द्वितीय तल, बांद्रा पूर्व, मुंबई–51 ।

6. मेसर्स लियोट्रॉनिक्स स्केल्स प्राइवेट लिमिटेड, 47, हाइड मार्केट, प्रथम तल, अमृतसर 143001 ।

उपस्थित :

याचिकाकर्ता हेतु	–	श्री रवीश अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा श्री पी.एस. कोशी, विद्वान अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्र. 1 से 5 हेतु	–	श्री प्रशांत जायसवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा श्री विनय पांडे, विद्वान अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्र. 6 हेतु	–	ठाकुर विजय सिंह और श्री एस.एस. राजपूत, विद्वान अधिवक्तागण ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(6 फरवरी, 2008 को पारित)

याचिकाकर्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो तौल प्राणाली के निर्माण और सेवाओं का व्यवसाय करता है। याचिकाकर्ता इस प्रकरण के प्रथम उत्तरवादी भारतीय खाद्य निगम को तौल उपकरणों की आपूर्ति करता था। दिनांक 23 अगस्त 2005 को, इस प्रकरण के द्वितीय उत्तरवादी कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग), भारतीय खाद्य निगम, परियोजना कार्यान्वयन प्रभाग, नई दिल्ली, के प्राधिकार के अधीन और उनकी ओर से, श्री ए.के. साहनी, महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) द्वारा हस्ताक्षरित एक नोटिस याचिकाकर्ता को जारी किया गया था। उत्तरवादी क्र. 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के साथ उक्त नोटिस की प्रति दस्तावेज़ डी–1 के रूप में प्रदर्शान्कित है, जो इस प्रकार है:

"क्र. इंजी./मैकेनिकल/वी आई सी केस/2004/272 दिनांक 23 अगस्त 2005.

मेसर्स डिजिटल तौल प्राणाली,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्लॉट संख्या पी 1 बी और सी, पी 2,

औद्योगिक क्षेत्र, तिफरा,

बिलासपुर (छ.ग.) 495223,

विषय :– भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति किए गए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तौल सेतु के खराब प्रदर्शन – बाबत ।

महोदय,

यह पाया गया है कि आपने विभिन्न क्षेत्रों (जैसे पश्चिम, दक्षिण और उत्तर–पूर्व क्षेत्र) के विभिन्न केंद्रों पर 30/40 मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक तौल सेतु की आपूर्ति और संस्थापन किया है।

मुख्यालय के क्षेत्र कार्यालयों से प्राप्त प्रदर्शन प्रतिवेदन में यह पाया गया है कि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक तौल सेतुओं का संस्थापन और प्रदर्शन, संतोषजनक नहीं पाया गया है। पश्चिम क्षेत्र में आपूर्ति किए गए डिजिटल निर्मित कुछ इलेक्ट्रॉनिक तौल सेतुओं के संस्थापन में अंतर्निहित खराबी पाए गए हैं, जिनमें आपके द्वारा मुख्य तौल सेतु के साथ आपूर्ति किए गए यूपीएस जैसे उपकरणों में पायी गई खराबी का सुधार न करना भी शामिल है। संस्थापन की खराबी अनुचित अर्थिंग, लोड सेल केबलों के अनुचित घेराव, खराब प्लिंथ सुरक्षा, खराब रैंप, अनुचित वायरिंग और लाइट फिटिंग (आंतरिक और बाहरी दोनों) से संबंधित हैं। ये खराबी पश्चिम क्षेत्र के इटारसी, दुर्ग और मंदिर हसौद डिपो में संस्थापित इलेक्ट्रॉनिक लॉरी तौल सेतु में पाए गए हैं ।

जहाँ तक दक्षिण क्षेत्र का संबंध है, काजीपेट (जिला–वारंगल) में संस्थापित लॉरी तौल सेतु में कई खराबियाँ प्रतिवेदित हैं। ये खराबियाँ तौल में भारी अंतर से संबंधित हैं जो, शुन्य की त्रुटि के अलावा, 70 से 100 किलोग्राम के बीच होना प्रतिवेदित किया गया है । लोड सेल भी खराब स्थिति में होना प्रतिवेदित किए गए हैं, जिसके बारे में

आपको कई बार सूचित किया गया है। क्षेत्र कार्यालय द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि माह अगस्त और सितंबर 2002 के दौरान आपके तकनीशियन ने तौल सेतु की खराबी को सुधारने का प्रयास किया था, लेकिन वे सुधार कर पाने में असफल रहे । यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि तौल सेतु में गंभीर खराबियों के लिए, आपको जोखिम और व्यय संबंधी नोटिस भी तामील किया गया था।

जहाँ तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र का संबंध है, खाद्य भंडारण डिपो, राम नगर (सिलचर) और नंदन नगर में संस्थापित इलेक्ट्रॉनिक लॉरी तौल सेतु का प्रदर्शन बहुत खराब पाया गया। इन स्थलों पर संस्थापन के बाद से यह तौल सेतु अधिकांश समय बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं रहे हैं। यह भी पाया गया है कि संस्थापित मूल लोड सेल को प्रतिस्थापित किया गया था और राम नगर (सिलचर) के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बार-बार स्मरण पत्र प्रेषित करने के बावजूद आपके द्वारा उनकी परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई । यह भी पाया गया है कि पूर्व में नंदन नगर में संस्थापित सभी 4 लोड सेल को 15 टन क्षमता वाले दोनों सिरे से संपीड़न प्रकार के लोड सेल से प्रतिस्थापित किया गया था, जबकि संविदा की शर्तों के अनुसार आपके लिए 23 मीट्रिक टन क्षमता वाले लोड सेल (संपीड़न प्रकार) की आपूर्ति और संस्थापन करना अनिवार्य था।

इस प्रकार यह पाया गया है कि इन तौल सेतु के अनुचित प्रदर्शन और उपकरणों की खराबी की वजह से इनका उपयोग ना होने के कारण, भारतीय खाद्य निगम को हानि हुई है। अतः, आपसे यह स्पष्टीकरण माँगा जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने के 15 दिनों के भीतर, उन इलेक्ट्रॉनिक तौल सेतु की आपूर्ति और स्थापना का कारण स्पष्ट करें, जो विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका प्रदर्शन खराब है और जिससे भारतीय खाद्य निगम को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हानि हुई है। यदि आपका जवाब इस अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आपको कुछ नहीं कहना है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपके साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने सहित, कार्यवाही किया जायेगा, जैसा वह उचित समझे ।

भवदीय

(ए.के. साहनी)

महाप्रबंधक (अभि.)

कार्यकारी निदेशक (अभि.) हेतु

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता ने उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब दिनांक 31.08.2005 को प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी –11 के रूप में प्रदर्शान्कित किया गया है , जो निम्नानुसार है :

प्रति,

महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी)

परियोजना कार्यान्वयन प्रभाग,

स्कोप मीनार कोर– 4, द्वितीय तल,

लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092

दूरभाष संख्या: 22010206, 22010208

आदरणीय महोदय,

विषय :– डिजिटल निर्मित तौल सेतुओं के सुधार – बाबत,

2006:सीजीएचसी:4411

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. क्र. इंजी./मैकेनिकल/वी आई सी केस/2004/272 दिनांक 23 अगस्त 2005.

हम उपर्युक्त पत्र की प्राप्ति को अभिस्वीकृत करते है। इस संदर्भ में, सूचना अनुसार, वर्तमान स्थिति में सुधार कार्य के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में, जहाँ भी आवश्यक हो, कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उक्त पत्र में उल्लिखित भारतीय खाद्य निगम भंडारण डिपो :–

1. पश्चिमी जोन के अंतर्गत, हमारे सर्विस इंजीनियर द्वारा दिनांक 30.08.2005 को खाद्य भंडारण डिपो, दुर्ग का दौरा कर वहां संस्थापित तौल सेतु के लिए किए जाने वाले सुधार कार्य हेतु संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है । इसके समर्थन में एक प्रतिवेदन संलग्न है।

   इसी प्रकार, यह कार्य खाद्य भंडारण डिपो, मंदिरहसौद में भी दिनांक 01.09.2005 को किया जाएगा, जिसके बाद सुधार कार्य किया जाएगा। इन दोनों खाद्य भंडारण डिपो के उक्त कार्य के पूर्ण होने की अवधि वर्त्तमान तिथि से 8 से 10 दिनों के भीतर होना अपेक्षित है ।

   हमारे सर्विस इंजीनियर द्वारा दिनांक 05.09.2005 को खाद्य भंडारण डिपो, इटारसी, का दौरा किया जाना अपेक्षित है और इस संबंध में अग्रिम सूचना पहले ही प्रेषित कर दी गई है। खाद्य भंडारण डिपो में तौल सेतु के लिए सुधार कार्य आवश्यक होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ किया जाएगा और प्रतिवेदित तिथि से 4 से 5 दिनों के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा।

2. उत्तरी जोन के अंतर्गत, हमारे सर्विस इंजीनियर, कलपुर्जे और सामग्री जिन्हें आवश्यकतानुसार बदला जाना है, के साथ पहले से ही खाद्य भंडारण डिपो, अगरतला नंदन नगर के लिए निकल चुके हैं । इस संबंध में संबंधित कार्यालय को सूचना भेज दी गई है और जो भी सुधार कार्य हो, वह सितंबर 2005 के पहले सप्ताह तक पूर्ण कर लिए जाएँगे। इसके पश्चात, सर्विस इंजीनियर तौल सेतु के आवश्यकतानुसार सुधार कार्य के लिए खाद्य भंडारण डिपो रामनगर, सिलचर जाएँगे। जैसा कि संबंधित उत्तर पूर्वी क्षेत्र

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्यालय द्वारा अनुरोध किया गया है, यह अपेक्षित है कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायेगा ।

3. जहाँ तक दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य भंडारण डिपो (काजीपेट) का संबंध है, इस पर पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है। इसके समर्थन में कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं और आमने–सामने की चर्चा के दौरान संतोषजनक रूप से आश्वस्त भी किया गया है।

तथापि, हमने भारतीय खाद्य निगम के तौल सेतुओं के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक और प्राथमिक स्तर पर हर संभव कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

असुविधा के लिए अत्यधिक खेद है ।

धन्यवाद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भवदीय,

डिजिटल तौल प्रणाली प्राइवेट लिमिटेड हेतु

मुख्य कार्यकारी (विक्रय)"

याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के संबंध में एक और जवाब दिनांक 15/9/2005 को प्रस्तुत किया। दूसरे उत्तरवादी द्वारा याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने के उपरांत, अंततः दिनांक 28/9/2005 को आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक पी–1 के रूप में प्रदर्शान्कित है, जो इस प्रकार है:

"क्र. इंजी./मैकेनिकल/वी आई जी केस/2004 दिनांक 28.09.2005.

मेसर्स डिजिटल तौल प्राणाली,

प्लॉट संख्या पी 1 बी और सी, पी 2,

औद्योगिक क्षेत्र, तिफरा,

बिलासपुर (छ.ग.) 495223,

विषय :– भारतीय खाद्य निगम के डिपो के विभिन्न स्थानों पर आपूर्ति और संस्थापन किये गए इलेक्ट्रॉनिक निर्मित तौल सेतु का का कार्य ना करना – व्यावसायिक लेन –देन पर प्रतिबन्ध – बाबत ।

महोदय,

आपको तामील कारण बताओ नोटिस समसंख्यक क्र. दिनांक 23.08.2005 के उत्तर में, पत्र क्रमांक DWS/BSP/05–06/775 दिनांक 31.08.2005 और DWS/BSP/05–06/257/839 दिनांक 15.09.2005 द्वारा प्रस्तुत आपका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है। अतएव, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से 2 (दो) वर्ष की अवधि के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ आपके किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन–देन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भवदीय

(आर.एन प्रसाद)

सहायक महाप्रबंधक (मूल्यांकन/प्रबंधन)

कार्यकारी निदेशक (अभीयांत्रिकी) हेतु "

(2) याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 2 के आदेश दिनांक 28/9/2005 से व्यथित होकर यह रिट याचिका दायर की है जिसमें निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की गई है:–

" मांगी की गई अनुतोष(ों) :

अतएव, यह प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय उत्तरवादीगण के विरुद्ध उपयुक्त रिट/रिटों, निर्देश/निर्देशों, आदेश/आदेशों को जारी करने की कृपा करें, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि :–

(क) आक्षेपित आदेश दिनांक 28.09.2005 और अनुलग्नक पी–1, विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है और इसे अपास्त/अभिखंडित किया जाए ।

(ख) उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाए कि वे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तीनों राज्यों में तौल सेतु की आपूर्ति से संबंधित निविदा कार्यवाही में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोलियों को खोलने से विरत ना रहें । "

(3) इस स्तर पर, परिच्छेद 7 के खंड (ख) में निहित प्रार्थना का निराकरण करना सुसंगत है। उत्तरवादी क्र. 3 की ओर से दाखिल अतिरिक्त जवाब के परिच्छेद 2 में, यह कथन किया गया है कि रायपुर क्षेत्र के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में तौल सेतुओं की संस्थापन के संबंध में आदेश दिनांक 25/12/2005 और 31/12/2005 के द्वारा निविदा कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है। उत्तरवादी क्र. 3 द्वारा शपथ पर दिए गए उपरोक्त कथन की औचित्यता का याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा मेरे समक्ष कोई विरोध नहीं किया गया है। अतः, रिट याचिका के परिच्छेद 7 के खंड (ख) में मांग किया गया अनुतोष निर्णय हेतु शेष नहीं रह जाता है और तदनुसार इसका निराकरण किया जाता है। परिणामी स्थिति यह है कि केवल परिच्छेद 7 के खंड (क) में दावा किया गया अनुतोष ही विचारण और निर्णय हेतु शेष रह जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण अर्थात श्री रवीश अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा सहायक श्री पी.एस. कोशी, विद्वान अधिवक्ता, उत्तरवादी क्र. 1 से 5 के विद्वान अधिवक्तागण अर्थात श्री प्रशांत जायसवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा सहायक श्री विनय पांडे, विद्वान अधिवक्ता, तथा उत्तरवादी क्र. 6 के विद्वान अधिवक्तागण अर्थात ठाकुर विजय सिंह और श्री एस.एस. राजपूत को तर्कों का अनुश्रवण किया ।

(5) श्री रवीश अग्रवाल, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरवादी क्र. 2 का आक्षेपित आदेश दिनांक 28/9/2005 एक से अधिक कारणों से विधि में कायम नहीं रह सकता। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, इस आदेश का प्रभाव यह है कि याचिकाकर्ता को भारतीय खाद्य निगम के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यापार करने से

2 वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डाल दिया गया है, और अतएव, नैसर्गिक न्याय और कार्रवाई में न्यायपूर्ण व्यवहार के सिद्धांतों के लिए यह आवश्यक था कि प्रतिवादी क्र. 2 के द्वारा, इस प्रकार का कठोर आदेश पारित करने के पूर्व, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.08.2005 में निहित आरोपों के संबंध में अपना मामला रखने के लिए उचित और पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि आक्षेपित आदेश उत्तरवादी क्र. 2 के व्यक्तिपरक समाधान पर आधारित है, न कि वस्तुपरक विचारों पर, जो निर्णय लेने के लिए सुसंगत हैं। दूसरी ओर, भारतीय खाद्य निगम के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और अधिकारीगण ने उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जब याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस तामील किया गया था, तो उसने कारण बताओ नोटिस में उसके विरुद्ध अधिरोपित किसी भी आरोप का विरोध नहीं किया था, दूसरी ओर याचिकाकर्ता द्वारा 31. 08. 2025 को प्रस्तुत किये गए उत्तर को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने तौल प्रणाली के संस्थापन और खराबी में दोषों को स्वीकार किया और विभिन्न स्थानों पर अपने अभियंता कर्मियों को नियुक्त करके उन सभी खराबियों को सुधारने का दायित्व उठाया । उत्तरवादीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने पर कोई बेहतर विवरण या जानकारी की मांग नहीं की । मामले की उस दृष्टि में, विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता की इस शिकायत में कोई सार नहीं है कि उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया।

(6) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं का अनुश्रवण करने के उपरांत, निर्णय लेने हेतु एक संक्षिप्त प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई अनुज्ञेय आधार निर्मित होता है, जिसके आधार पर यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रवेश कर उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप कर सके। सर्वप्रथम, यह विचार करने की आवश्यकता है कि यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी रूप में किसी व्यक्ति को काली सूची में डालना उस व्यक्ति के नागरिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकारों का उल्लंघन है और अतएव, किसी व्यक्ति को काली सूची में डालने से पूर्व, विधि के अनुसार, प्रभावित व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए । किन्तु , यह आवश्यक नहीं है कि सुनवाई का अर्थ व्यक्तिगत सुनवाई हो। सामान्यतः, प्रशासनिक प्राधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे निर्णय लेने के पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई करें, जब तक कि विधान में ऐसा निर्देश न दिया गया हो। वैधानिक निर्देशों के अभाव में भी, मामले की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, जिस पर प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना है, व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक हो सकती है। दूसरे शब्दों में, किसी मामले में प्रशासनिक विभाग या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, निर्णय लेने के लिए उद्भूत होने वाले विवाद्यक, विधि और तथ्यों के संदर्भ में जटिलता आदि पर निर्भर करेगा। इस संबंध में कोई कठोर नियम नहीं हो सकता। इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, मेरे सुविचारित मत में, उत्तरवादी क्र. 2 ने दिनांक 23.08.2020 के कारण बताओ नोटिस में, बहुत विस्तार से, विभिन्न स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के द्वारों पर संस्थापित तौल प्रणालियों के त्रुटियों और खराबी को दर्शाया है। मेरे द्वारा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्कों का विवेचन किया जा सकता था, यदि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के बाद उत्तरवादी क्र. 2 से बेहतर विवरण और जानकारी की मांग की होती और उत्तरवादी क्र. 2 ऐसा विवरण और जानकारी देने से इनकार कर देता। याचिकाकर्ता ने , बिना किसी आपत्ति और विरोध के, उसे ज्ञात कारणों से, उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा आक्षेपित नोटिस में उल्लेखित प्रत्येक त्रुटि और खराबी को सही माना तथा, अपने इंजीनियरिंग स्टाफ को नियुक्त कर, वह हर स्थान पर उनके सुधार कार्य का दायित्व उठाया। यदि याचिकाकर्ता का आचरण ऐसा था, तो अब उसके द्वारा यह तर्क नहीं किया जाना चाहिए कि उसे कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया, इस अर्थ में कि कारण बताओ नोटिस के साथ आवश्यक विवरण और अभिलेख नहीं भेजे गए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पर्याप्त समय तक अनुश्रवण करने के उपरांत , मैं इस तथ्य से संतुष्ट हूँ कि उत्तरवादी क्र.2 ने आक्षेपित निर्णय लेने के पूर्व निष्पक्षता के साथ उन नियमों और सिद्धांतों का पालन किया है और अतएव, आक्षेपित कार्रवाई को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन के रूप में दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। आक्षेपित आदेश जैसे प्रशासनिक आदेशों में निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारण या परिस्थिति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु , जब ऐसा निर्णय न्यायिक समीक्षा का विषय हो, तब यह पर्याप्त है, यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों से यह दर्शित हो कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने सुसंगत सामग्रियों पर विचार किया और वस्तुपरक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया, अर्थात, सुसंगत सामग्रियों के आधार पर और असंगत विचारण को त्याग कर ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) मेरे पास इस आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप न करने का एक और ठोस कारण है। आक्षेपित आदेश का प्रभाव पक्षकारों के मध्य एक सामान्य अनुबंध को समाप्त करने जैसा है। मुझे इसमें कोई लोक विधि संबंधी तत्व नहीं मिला, सिवाय इसके कि भारतीय खाद्य निगम भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक राज्य है और संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रयोजन के लिए एक प्राधिकरण है। यह अक्सर अभिनिर्धारित और दोहराया जाता है कि, केवल इसलिए कि एक संविदा का निष्पादन करने वाला पक्ष संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक 'राज्य' है या संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रयोजन के लिए एक प्राधिकारी है, यह तथ्य अपने आप में न्यायालयों के लिए, संविदा की समाप्ति की न्यायिक समीक्षा हेतु, तर्कसंगत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त , इस मामले में प्रस्तुत पक्षकारों के अभिवचन निर्णय के लिए विवादित तथ्यों से भरी हुई हैं। उत्तरवादी क्र. 2 के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा संस्थापित तौल प्रणालियाँ त्रुटिपूर्ण और खराब हैं और निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, जबकि, याचिकाकर्ता द्वारा इन सभी आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है तथा यह कहा गया है कि आरोप झूठे हैं। अतएव, स्वाभाविक

रूप से इन अभिवचनों से, निर्णय लेने हेतु तथ्यात्मक विवादग्रस्त विवाद्यक उद्भूत होंगे । इस दृष्टिकोण से भी देखें तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका पर विचार करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

(9) फलतः और उपर्युक्त कारणों से, रिट याचिका ख़ारिज की जाती है। कोई व्यय नहीं।

सही /-

मुख्य न्यायाधिपति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Translated by Adv Aayush Bhatia